Global Journal of Emerging Trend in Education and Social Science
Vol. 4, Issue 2 – 2021
ISSN: 2582-1377

पंचायती राज एंव महिला नेतृत्व-एक अवलोकन

डा. जयश्री रणसिंह

सारांश

भारत में महिलाओं की विशाल संख्या अधीनता तथा उपेक्षित वर्ग का जीवन बीता रही है, और इसी कारण समाज में विषमता बढ रही है। यद्यपि महिलांए अब बडी संख्या में आर्थिक और राजनैतिक क्रियाकलापों तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग ले रही है पर वास्तव में न तो वे इससे लाभान्वित हो रही है और न ही वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन बदलाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सक्षम है। स्थानीय शासन की इकाइयों में ऐसा बहुत कम होता है कि ग्रामीण महिलांए स्वंय अपने बलबूते पर ही निर्वाचित हो। जबकि अधिकतर यह देखा जाता है कि जो महिलांए प्रतिनिधी निर्वाचित होती है उसमें उसके पुरूष परिजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की महिला प्रतिनिधियों के अनुभाविक प्रमाणों के आधार पर राज्य में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्थिति एंव राजनीति की भागीदारी की प्रकृति का परीक्षण किया गया है।

मुख्यशब्दः पंचायती राज, राजनीतिक प्रतिनिधित्व व सहभागिता ग्राम स्वायतत्ता, सामाजिक दबाव, महिला आरक्षण एंव महिला सशक्तिकरण।

भूमिका

भारत में स्त्रियों की प्रस्थिति के संबंध में हम यह कहना चाहेगें कि महिलाओं को जिस दृष्टि से से समाज व्दारा देखा जाता है और लिंग में अंतर करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है उन्हे पुरूषों के समकक्ष नही समझा जाता है यह भारतीय समाज की यह बहुत बडी त्रासदी

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

है। भले ही वर्तमान में स्त्रियों ने पढ-लिख कर कुछ विशेष स्थानो तथा पदो पर पुरूषों की बराबरी कर ली है किंतु उनका विषय इतना कम है कि वह अवहेलना का शिकार होती ही है।

ईश्वर ने मानव को दो रूप दिया है एक पुरूष और एक स्त्री, भगवान ने नारी के शरीर को इस तरह मंडित किया है कि वह संसार के भविष्य की निर्मात्री है। कई युगपुरूष हुए है जो नारी के प्रत्येक रूप चाहे वह मां, पत्नि, बहन एंव भाभी हो से प्रभावित होकर महान बने है। अतः यह कह सकते है कि संसार का विकास नारी के विकास पर निर्भर है, नारी को हर क्षेत्र में बढावा देना चाहिए, सहभागिता एंव सक्रियता जैसे शब्दो को साकार कर देने में ही देश का भला हो सकता है उसे अपमानित करके नही।

आज के दौर में स्त्रियां इंजीनियर, पायलट, डाक्टर, नर्स, अध्यापिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, इसके अलावा सबसे महत्वूपर्ण देश भी संभाल रही है, वर्तमान में महिलांए रक्षा के क्षेत्र में भी विशेष भूमिका का निर्वहन कर रही है। जो कि देश के आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से भी विश्व में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का एक साहसिक कदम है, पूर्व विदेशमंत्री स्व.सुषमा स्वराज,वित्तमंत्री व पूर्व रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण आदि देश का गौरव रही है।

शोधपत्र. की परिकल्पना

प्रस्तुत शोधपत्र इस परिकल्पना को लेकर अध्ययन किया गया है कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से मिले राजनीतिक अवसर का सामाजिक एंव राजनीतिक विकास पर गहरा प्रभाव पडेगा। महिलाओं का सशक्तीकरण अधिक प्रभावशील हो सकता है साथ ही इन परिकल्पनात्क तथ्यों की जांच की गई कि:-

1. पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक विकास के साथ साथ महिला उत्थान का भी एक माध्यम है।
2. सामाजिक रूप से पिछडी तथा घर की चार दिवारी में बद महिलाओं को राजनीतिक कौशल प्राप्त करने में समय लगेगा।
3. महिलांए देश की आधी आबादी है और ये एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को पुरूषों के समान ही निभा सकती है।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

4. ग्रामीण परिवेश में पुरूष प्रभुत्व आज भी महिलाओं की राजनैतिक सशक्तिकरण व सहभागिता को स्वीकार नही कर पाये है।
5. ग्रामीण महिलाओं के सामने कुछ सामाजिक आर्थिक व मनोवैज्ञानिक समस्यांए व बाधाएं है जो उन्हे स्वतंत्र रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करने से रोकती है।

शोधपत्र की अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढती हुई भूमिका तथा सशक्तिकरण के लिए उत्तरोत्तर हुए विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया है।यह अध्ययन पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय आयामों के अंतर्गत संपूर्ण देश में महिलाओं की शिक्षा उनके वर्तमान स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर अध्ययन किया गया है।

प्राचीनकाल के स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है,वैदिक काल के इतिहास का अध्ययन करने पर पंचायती राज का अस्तित्व साफ दिखाई देता है। इस समय तक ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका था। वैदिक काल में ग्राम प्रशासन की सबसे लघु इकाई थे जिनका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी गांव के श्रेष्ठ तथा बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह से कार्य करता था।

वैदिक काल में सभा होती थी जिसमें प्रत्येक नागरिक भाग लेता था, महाकाव्य काल रामायण तथा महाभारत में भी सभा का उल्लेख मिलता है, जो ग्रामीण सुरक्षा का प्रबंध करती थी।

गुप्तकाल में मौर्यकाल की भांति ही स्थानीय स्वशासन व्यवथा प्रचलित थी।जिसकी सबसे लघु इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीक होता था, गुप्त कालीन ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। दक्षिणी भारत में सात वाहन शासकों के काल में नगरो तथा ग्रामों में स्थानीय शासन संस्थाए विद्यमान थी। दक्षिण भारत के ही चोल प्रशासन में भी ग्राम स्वायत्तता ग्राम परिषदे पायी जाती थी।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

भारत में अतिप्राचन काल से पंचायतों ने ग्रामीण और राष्टीय विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है,बेडेन पावेल ने अपनी पुस्तक द इंडियन विलेज में लिखा है कि भारत में सब बातें संस्थांए निरंतर परिवर्तित होती रही है किंतु भारत के गांव इसी रूप में विद्यमान है जैसा कि वे शताब्दियों पूर्व थे। इन ग्रामीण समुदायों को हम लघु गणतंत्र की संज्ञा दे सकते है। भारत में अतिप्राचीनकाल साम्राज्य राज्य बनते बिगडते रहे। एक राजा या सम्राट आया और चला गया नये सम्राट का शासन स्थापित हुआ, किंतु ग्राम जैसे थे वैसे ही बने रहे। ग्रामीण व्यवस्था में किसी प्रकार का अंतर नही आया। जैसा कि तुलसीदास ने लिखा है कोउ नृप हो हमें का हानि।

भारत में अतित में पंचायते थी इसके अनेक प्रमाण मिलते है लेकिन इनमें महिलाओं की भागीदारी भी थी, इसके प्रमाण नही मिलते है। तत्कालीन पंचायतों के सदस्यों के लिए जो योग्यतांए निर्धारित की गई थी महिलांए उनकी परिधि में नही आती थी। वही व्यक्ति पचांयत में चुना जा सकता था जिसके पास कर देने योग्य भूमि हो वह संस्कृत जानता हो उसका ज्ञान बताने व सुनने योग्य परिपक्व हो। वह व्यवसाय करना जानता हो और अपना धन इमानदारी से कमाया हो। इन योग्यताओं के आधार पर महिलांए चुनाव के योग्य हो ही नही सकती थी। उत्तर वैदिककाल के बाद उनके स्वामित्व में न भूमि थी न उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और न ही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार था।

जन मथाई ने अपनी पुस्तक विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया में बताया है कि विभिन्न ग्रामीण समितियों के गठन में महिलाओं को सदस्य बनने की मनाही नही थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक भारत एक खोज में इस तरह का इशारा करते हुए लिखा है कि ग्रामीण समिति एक वर्ष के लिए गठित होती थी और महिलांए भी ऐसी समितियों की सदस्य बन सकती थी। लेकिन ऐसा प्रावधान वास्तविकता के धरातल पर प्रचलन में नही था, महिलाओं की जीवन शैली इस तरह से नियंत्रित होती थी कि वे चाहकर भी किसी समिति का सदस्य नही बन सकती थी।

ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली

उल्लेखनीय है कि 73 वे संविधान संशोधन के माध्यम से स्थापित पंचायती राज प्रणाली के जिन मूल तत्वों को संस्थापित किया गया है वह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्रामीण भारत

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

Global Journal of Emerging Trend in Education and Social Science
Vol. 4, Issue 2 – 2021
ISSN: 2582-1377

की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगर पालिकाओं के व्दारा शहरी क्षेत्रो का स्वशासन चलता है।उसी प्रकार पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है,पंचायती राज संस्थाए तीन है।

01. जिला स्तर पर जिला परिषद।

02 ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति

03. ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत

स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राजनीति में महिलांए

भारतीय महिलांए आजादी के पूर्व से राजनीति के साथ किसी न किसी रूप में संबंद्ध रही है। वह स्वंयसेवक और नेता दोनो के रूप् में स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। सामाजिक और धार्मिक सुधार और महिलाओं की शिक्षा इस विकास में महत्वपूर्ण करक थें। भारत में महिलांओ का सामाजिक राजनीति परिवर्तन के लिए पहला आंदोलन 20 वी शताब्दी के आंरभ में हुआ, जब महिलांये भी पुरूषो के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुई। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये महिलांये कंहा अदृश्य हे गई, वे पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए वापस घरो में चली गईं। उनका कामकाज व कार्य व्यवहार घर की चारदीवारी तक ही सीमित हो गया। बाद में यह सोच उभरकर आयी कि स्त्रियों को सत्ता में हिस्सा लेना चाहिए परिमाणतः पंचायत से संसद तक आरक्षर की मांग की जाने लगी।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं के लिए पृष्ठ भूमि

स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था उसे व्यवहारिक स्वरूप देने हेतु 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के भाग 4 क नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया कि वह गांवो में ऐसी पंचायतों की स्थापना करेगी स्थानीय स्वशासन के लिए आवश्यक हो। इसके अलावा संविधान में महिलांओ को पुरूषो के समान अधिकार भी प्रदान किये गये।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

पंचायत राज के माध्यम से हुए महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण महिलांए अपने अधिकारो के प्रति सचेत हुई है उनमें अन्याय व शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत हुई है उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है, उनमें आत्मविश्वास एंव जोश बढा है। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं को न केवल निर्णय निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है अपितू विकेन्द्रीकरण नियोजन में विकास कार्यक्रम के प्रशासन, क्रियान्वयन एंव नियोजन में सक्रिय सहभागिता प्रदान की है पंचायती राज ने ग्रामीण क्षेत्र तथा दलित वर्ग की महिलाओं को परिवार,जाति व समाज में उचित स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

भारत में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के मुद्दे ने जनवरी 1957 में गठित बलवंतराय मेहता समिमि के माध्यम से थोडी बहुत तेजी पकडी, जब समिति ने 1959 में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण नाम से अपनी रिपोर्ट सौपी तथा इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के नागौर जनपद स्थित बगदरी गांव से पंचायती राज संस्थान की शुरूआत हुई, बाद में अन्य राज्यो में लागू किये गये।इस कमेटी ने देश के उत्थान में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और विचार व्यक्त किया कि जब तक देश की महिलाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदारी नही बनाया जाएगा तब तक देश की वास्तविक प्रगति नही हो सकेगी। यंहा पर प्रश्न केवल महिलाओं की स्थिति सुधारने की नही है बलकि इस आधी आबादी के किस प्रकार इस स्थिति पर लाया जाये जिससे महिलांए न केवल आर्र्थिक रूप से अपने पैरो पर खडी हो सके अपितू अपना निर्णय लेने में समक्ष और स्वतं. हो सके। इस समस्या पर विचार करते हुए बलवंतराय मेहता समिति ने अपनी अनुशंसा में प्रत्येक पंचायत समिति में महिला प्रतिनिधित्व के अनुभव में दो महिलाओं को नांमाकित करने का प्रावधान रखा। समय समय पर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाये है लेकिन पंचायती राज अधिनियम 1992 ग्रामीण भारत की महिलाओंर की सशक्तिकरण में मील की पत्थर साबित हुई है। वैश्वीकरण के इस दौरे मे महिलांए भी पुरूष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था

छ0ग0राज्य के 01 नवबंर 2000 को अस्तित्व में आने के बाद यंहा पर म0प्र0 राज्य की ही तरह तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था जिला स्तर,जनपद स्तर और ग्राम्य स्तर पर स्वीकार

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

कर ली गयी है। अतः इनके विवरण को जानने से पूर्व हमें पूर्ववर्ती म0रप्र0 में इनकी स्थिति और रचना से परिवर्तन न होते रहे। अर्थात पूर्ववर्ती म0प्र0 में 1956 के पूर्व और 1956 के बाद व्यवस्था किस प्रकार से कार्यशील रही।

छत्तीसगढ पंचायत राज संशोधन विधेयक-2004 दो संशोधन के साथ दिनांक 24 जून को विधानसभा में पारित हो गया। राज्य गठन के पश्चात यह पहला संशोधन विधेयक था। जिसमें पिछली सरकार ने प्राथमिक स्तर से हायर सेंकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त रखी थी जिसे तत्कालीन सरकार ने संशोधित कर साक्षर हांने की अनिवार्यता रखी।

छत्तीसगढ पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 में पात्रता से संबंधित दो उपधारा धारा 36 में जोडी गयी पंच पद के लिए 5वी की परीक्षा और पंच के उपर के पदाधिकारी के लिए 8 वी या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया।

छत्तीसगढ में वर्तमान पंचायत निकायों की संख्या

नाम	पंचयती राज संस्थाओं की संख्या
ग्राम पंचायत	11664
जनपद पचांयत	146
जिला पंचायत	27

पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ पंचायती राज में महिलाओ की भागीदारी और आरक्षण

वर्तमान समय में महिला आरक्षण को कई राज्यों ने 33 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है।जिसमें ग्राम पंचायतो ने महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढी है। छ0ग0 राज्य में गांवो की सरकार यानी पंच परमेश्वर के रूप में इंसाफ देने वाली संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है इसके बावजूद में छ0ग0 में करीब 60 फीसदी गांवो की सरकार चल रही है यानी अनारक्षित क्षेत्रों में भी महिलांये पुरूषों को पीछे छोड रही है।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

राज्यवार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का विवरण

क्र.	राज्य	पंचायत की संख्या
1	असम	2431
2	आंध्रप्रदेश	22945
3	बिहार	9040
4	छत्तीसगढ	9982
5	हिमाचल प्रदेश	3330
6	झारखंड	3979
7	कर्नाटक	5853
8	क्रल	1165
9	मध्यप्रदेश	23412
10	महाराष्ट्र	28277
11	ओडिसा	6578
12	राजस्थान	9457
13	त्रिपुरा	540
14	उत्तराखंड	7335
15	प्श्चिम बंगाल	3713

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु सुझाव

1. महिलाओं को संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर अपने नेटवर्क स्थापित करना चाहिए ताकि निर्णय निर्माण एंव क्रियान्वयन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सके।
2. महिला प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर संबंधित मुददो पर मतभेद को अलग कर कार्य करना चाहिए। इनमें लैंगिक मुद्दे कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा एंव बाल अधिकारो से संबंधित मुददो पर एक जुटता का प्रदर्शन करना चाहिए।
3. महिलाओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार राजनीति में सक्रियता अधिकारो के लिए विधान मंडलों व वैधानिक निकायो में सक्रियता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला नेत्त्व विकास अति आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्य धारा मे लाना सरकार

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

की मुख्य चिंता रही है। ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास ग्रामीण भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, महिलाओं का राजनीतिक, सशक्तिकरण जीवन के सभी क्षेत्रो में सतत विकास पारदर्शिता उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एंव देश के संतुलित विकास को बढावा देगी। अभी महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए बहुत से कदम उठाने है बहुत से कठिन रास्ते पार करने है इसलिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। कानून संरचनात्मक असमानता को दूर नही कर सकते लेकिन समाजिक परिवर्तन में सहायता कर सकते है।

संदर्भ ग्रंथ

1. महिपाल,पंचायती राज-चुनौतियां एंव संभावनांए, नेशनल बुक टस्ट नई दिल्ली।
2. बेडेन पावेल, द इंडियन विलेज, आक्सफोर्ड 1905 पृ. 1.
3. जिंदल एम.आई.,एम.पी. पंचायत राज एंव ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 छत्तीसगढ में सन् 2002 में स्वीकृत।
4. नेहरू जवाहरलाल, सामुदायिक विकास एंव पंचायती राज,सत्ता साहित्य मंडल 1965.
5. महेश्वरी सरल-नारी प्रश्न राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा0लि0 नई दिल्ली 1998 पृ0 138-151.
6. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर रामायण, औध, 1976.
7. डा.व्दिवेदी राधेश्याम-पंचायती अधिनियम दि,लायर्स होम।
8. डा.शुक्ला सुरेशचंद्र-छ0ग0समग्र इतिहास शिक्षादूत ग्रंथागार प्रकाशन रायपुर 2003.
9. पाण्डेय प्रेमनारायण 2000 ग्रामीण विकास एंव संरचनात्मक परिवर्तन।
10. राजकुमार 2005 नारी के बदलते आयाम अर्जून पब्लिशिंग हाउस अन्सारी रोड दरियागंज नई दिल्ली।
11. छत्तीसगढ पंचायत राज संशोधन विधेयक 2019 दिनांक 29 नवंबर 2019.
12. छत्तीसगढ पंचायत राज संशोधन विधेयक 2016 मार्च 2016.
13. नवभारत रायपुर।
14. दैनिक भास्कर महाकोशल इतिहास शोध पत्रिका जून 1999.

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.